न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं. 38/2019

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

आयुक्त नगर परिषद,
बालोतरा

श्री खेराजराम चौधरी, प्रोपराईटर
मैसर्स सिद्धि विनायक एसोसियेशन,
दुकान संख्या 20, चेतन बाबा की झोंपड़ी
के पास, बालोतरा, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952

आदेश

दिनांक : 10/12/2019

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी दिनांक 27.08.2019 को राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत सर्टिफिकेट के लिये प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर अप्रार्थी से बकाया राशि 1,80,59,914/– की वसूली का अनुरोध किया हैं। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि वर्ष 2014–15 में नगरपालिका (प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर) नियम 2003 के अन्तर्गत सेसकर वसूली हेतु निविदा जारी की गई, जिसमें उक्त संवेदक अप्रार्थी की सर्वाधिक बोली रूपये 1,65,55,551/– प्रतिमाह होने के कारण उक्त सेसकर वसूली किऐ जाने का आदेश दिनांक 28.11.2014 प्रदान किया गया। उक्त आदेश के अनुसरण में अप्रार्थी द्वारा माह सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक निविदा राशि प्रदान नहीं करके वास्तविक वसूल की गई राशि जमा कराई गई। अप्रार्थी से उक्त बकाया राशि की मांग किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष सिविल रिट याचिका सं. 9515/2015 दायर की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी से माह सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक ठेका राशि वसूल किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं। इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा डी0बी0

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सिविल स्पेशल अपील सं. 1009/2017 दायर की गई, जिसे निर्णय दिनांक 09.01.2018 के द्वारा खारिज किया गया। इस आदेश के अनुसार संवेदक को निविदा राशि तथा वास्तविक जमा राशि की अंतर राशि रूपये 1,80,59,914/– जमा कराने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु सभी प्रयास असफल होने पर संवेदक की उक्त निविदा के अनुबंध अन्तर्गत सिटी युनियन बैंक, खेड़ रोड़ शाखा बालोतरा में जमा बैंक गारण्टी संवेदक को रिलीज नहीं करने हेतु शाखा प्रबंधक को सूचित किया गया हैं। अतः राजस्थान लोक अभियाचन वसूली अधिनियम, 1952 की धारा 3(1)(2) के अन्तर्गत उक्त राशि वसूली हेतु निर्धारित प्रपत्र में डिमाण्ड प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थी से उक्त राशि वसूल कर निकाय को दिलाने की कार्यवाही करावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी के उक्त उल्लेखित पते पर प्रेषित नोटिस अप्रार्थी स्वंय हाजिर नहीं मिलने पर उपस्थित श्री अशोक कुमार पुत्र जोगाराम जाति जाट निवासी बाटाडु, लूणाड़ा ने फर्म के मुनिम की हैसियत से नोटिस प्राप्त कर तामीली के हस्ताक्षर अंकित किये गये। इस प्रकार अप्रार्थी को पर्याप्त सूचना के बावजूद भी करीब एक माह की समयावधि गुजरने के बाद भी अप्रार्थी न तो उपस्थित हुआ है और न ही कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया हैं, लिहाजा प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया।

3. हमने प्रार्थी के द्वारा प्रकट दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं प्रकट तथ्यों पर मनन किया। वर्ष 2014–15 में नगरपालिका (प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर) नियम 2003 के अन्तर्गत सेसकर वसूली हेतु निविदा जारी की गई, जिसमें उक्त संवेदक अप्रार्थी की सर्वाधिक बोली रूपये 1,65,55,551/– प्रतिमाह होने के कारण उक्त सेसकर वसूली किऐ जाने का आदेश दिनांक 28.11.2014 प्रदान किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य निर्धारित शर्तो के अधीन अनुबंध करार दिनांक 02.12.2014 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रकट तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी द्वारा निर्धारित अनुबंध के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

तहत सेसकर राशि माह सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक अवधि की निविदा राशि प्रदान नहीं कर, वास्तविक वसूल की गई राशि जमा कराई गई। अपीलांट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं. 9515/2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.05.2015 के प्रभाव में औद्योगिक गतिविधियां बन्द हो जाने से सेसकर वसूली प्रभावित हुई हैं, लिहाजा वास्तविक वसूल की गई राशि जमा कराने की अनुमति प्रदान की जावें। माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी की याचिका को अस्वीकार करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि वसूल योग्य माना हैं तथा इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत डी0बी0 स्पेशल अपील सं. 1009/2017 निर्णय दिनांक 09.01.2018 द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र के द्वारा की गई लोक मांग अप्रार्थी से वसूल योग्य हैं तथा इसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों के द्वारा की जा चुकी हैं। अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र का जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया एवं निर्धारित 30 दिवस का समुचित समय दिये जाने के बावजूद भी निर्धारित समयावधि एवं सुनवाई तिथी को न तो उपस्थित हुए ओर न ही कोई जवाब प्रतिरक्षण प्रस्तुत किया गया। लिहाजा प्रकट तथ्यों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 1,80,59,914/– की राशि अप्रार्थी से वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। पीडीआर एक्ट की धारा 3 के अनुसार लोक अभियाचन का सर्टिफिकेट जारी करने की दिनांक 11.09.19 से लगाकर वसूली तक ब्याज एवं कोस्ट नियमानुसार अप्रार्थी से वसूल की जावें।

5. आदेश आज दिनांक 10.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर